FRANCHISE AGREEMENT

फ्रेंचाइज़ समझौता

This agreement is signed on thisday of April 2025
यह समझौता अप्रैल 2025 के इसदिन को हस्ताक्षरित किया गया है।
Between (के बीच)
M/s Zoe VitaflowHealthlife Private Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act 2013 and having its Registered Office at
एम/एस जोईविटाफ्लोहेल्थलाइफ प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है
और जिसका पंजीकृत कार्यालय, भारत में
स्थित है, जिसे आगे 'फ्रेंचाइज़र' कहा जाएगा (जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी और
अनुमोदित असाइन भी शामिल होंगे), इसके एक भाग के रूप में इसके निदेशक/अधिकृत
हस्ताक्षरी श्री के माध्यम से, जिसे आगे 'प्रथम पक्ष' कहा जाएगा।
And (और)
M/s XYZ India Private Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act,
1956 and having its Corporate office at hereinafter referred to as 'Franchisee or State Franchisee' which expression shall, unless the context otherwise
permits, include its successors and permitted assigns) of the one part through its Director Mr. herein after called as Second Party.
एम/एस एक्सवाईजेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है
और जिसका कॉरपोरेट कार्यालय पर
स्थित है, जिसे आगे 'फ्रेंचाइज़ी' या 'स्टेट फ्रेंचाइज़ी'कहा जाएगा (जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, इसमें इसके
उत्तराधिकारी और अनुमोदित असाइन शामिल होंगे), इसके एक भाग के रूप में इसके निदेशक श्री
के माध्यम से, जिसे आगे 'द्वितीय पक्ष' कहा जाएगा।
Or (या)
, a Limited Liability Partnership (LLP)
registered under provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, having its registered office at (Office Address) hereinafter
referred to as 'Franchisee' which expression shall, unless the context otherwise permits, include its successors and permitted assigns) of the one part through its Director Mr herein after called as Second Party.

, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एल	रलपी)
जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्य	लय
(कार्यालय पता) पर स्थित	है,
जिसे आगे 'फ्रेंचाइज़ी'कहा जाएगा (जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनु	मोदित
असाइन शामिल होंगे), इसके एक भाग के रूप में इसके निदेशक श्री के माध्यम से,	
आगे 'द्वितीय पक्ष' कहा जाएगा।	
Or (या)	
, a partnership firm registered under provisions o	f the
Indian Partnership Act, 1932, having its registered office at	
(Office Address) hereinafter referred to as 'Franchisee' which expression shall, unless the content otherwise permits, include its successors and permitted assigns) of the one part through Partner.	
herein after called as Second Party .	er IVII.
, एक साझेदारी फर्म जो भारतीय साझेदारी अधिनियम,	1932
के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय	
(कार्यालय पता) पर स्थित है, जिसे आगे 'फ्रेंचाइज़ी'कहा जाएगा (जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, इसमें	इसके
उत्तराधिकारी और अनुमोदित असाइन शामिल होंगे), इसके एक भाग के रूप में साझेदार श्री	
के माध्यम से, जिसे आगे 'द्वितीय पक्ष' कहा जाएगा।	
Or (या)	
(Proprietor Name), Indian inhabitant, carrying on his	
business in the firm name & Style of M/s(Firm N	ame)
as sole proprietor thereof, and having its registered office at	
(Office Address) hereinafter referred	
'Franchisee' which expression shall, unless the context otherwise permits, include its successor permitted assigns) of the one part through Proprietor Mr (Authorized Sign herein after called as Second Party.	
(स्वामी का नाम) , भारतीय निवासी, जो एम/एस	
	मात्र
स्वामी के रूप में संचालित कर रहे हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय	
(कार्यालय पता) पर स्थित है, जिसे आगे 'फ्रेंचाइज़ी'कहा जाएगा (जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, इसमें	 इसके
उत्तराधिकारी और अनुमोदित असाइन शामिल होंगे), इसके एक भाग के रूप में स्वामी श्री	
(अधिकृत हस्ताक्षरी) के माध्यम से, जिसे आगे ' द्वितीय पक्ष 'कहा जाएगा।	
Or (या)	
(Individual), Indian inhabitant, having PAN No	
and residence address at(Residence	

permits, include its successors and permitted assigns) of the one part through Authorized Signatory		
Mr herein after calle	• .	Tough Authorized Signatory
	(व्यक्ति), भारतीय निवासी, जिनका	. पैन नंबर है
और जिनका आवासीय पता		(आवासीय पता) है, जिन्हें
आगे 'फ्रेंचाइज़ी' कहा जाएगा (जब तक कि	संदर्भ अन्यथा न हो, इसमें उनके उत्त	नराधिकारी और अनुमोदित
असाइन शामिल होंगे), इसके एक भाग के	रूप में अधिकृत हस्ताक्षरी श्री _	के माध्यम से,
जिन्हें आगे 'द्वितीय पक्ष 'कहा जाएगा।		
FIRST PARTY and SECOND PARTY are he as "Party".	ereinafter collectively referred to a	as "Parties" and individually
प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष को आगे साम	नूहिक रूप से " पक्षकारगण " और व्यवि	न्तिगत रूप से " पक्ष " कहा
जाएगा।		
Both parties as above have expressed their respective objectives, which are s		nchise agreement to meet
उपरोक्त दोनों पक्षों ने अपने-अपने उद्देश्यों	की पूर्ति के लिए एक फ्रेंचाइज़ समझ	गौते में प्रवेश करने की इच्छा

DEFINITIONS (परभाषाएं)

In this agreement the following definitions shall apply:

इस समझौते में निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

व्यक्त की है, जिन्हें नीचे निर्धारित किया गया है।

a. **Agreement**: Means this Franchise Agreement.

समझौता: इसका तात्पर्य इस फ्रेंचाइज़ समझौते से है।

b. Franchise: Means the right granted by this Agreement.

फ्रेंचाइज: इसका अर्थ इस समझौते दवारा प्रदान किया गया अधिकार है।

c. **Franchisor**: Means the party described at the beginning of this Agreement and here in referred to as First Party/Company.

फ्रेंचाइज़र: इसका तात्पर्य इस समझौते की शुरुआत में वर्णित पक्ष से है, जिसे यहां प्रथम पक्ष/कंपनी कहा गया है।

- d. **Franchisee**: Means the party named in and as Franchisee of this agreement and its legal representatives, successor and permitted assign and here in referred to as Second Party. फ्रेंचाइज़ी: इसका तात्पर्य इस समझौते में नामित पक्ष से है जिसे फ्रेंचाइज़ी कहा गया है, और इसमें इसके विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमोदित हस्तांतिरतकर्ता शामिल हैं, जिसे यहां द्वितीय पक्ष कहा गया है।
- e. **Business Day:** Means a day on which banks are open for trading in India. **व्यवसायिक दिन:** इसका अर्थ वह दिन है जब भारत में बैंक व्यापार के लिए खुले होते हैं।

f. **Business Name:** Means the name set out in this Agreement which is the only name under which The Second party shall conduct the business.

व्यवसाय का नाम: इसका अर्थ इस समझौते में निर्धारित नाम है, जिसके अंतर्गत केवल द्वितीय पक्ष अपना व्यवसाय संचालित करेगा।

g. **Franchise Fee**: Means the initial fee payable by a franchisee for the grant and other matters as agreed between the parties.

फ्रेंचाइज़ शुल्क: इसका अर्थ वह प्रारंभिक शुल्क है जो फ्रेंचाइज़ी द्वारा अधिकार प्राप्त करने और अन्य सहमत मामलों के लिए देय है।

h. **Intellectual Property:** Includes all Licensed Copyright, Design, Trademarks, Patent, process & Corporate Name, Computer Software, the Goodwill of any Licensed Business Name, Secret process or Confidential Information Licensed by the first party, including the marks of the system.

बौद्धिक संपदा: इसमें सभी लाइसेंस प्राप्त कॉपीराइट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, प्रक्रिया एवं कॉपीरेट नाम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, किसी भी लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय नाम की साख, गुप्त प्रक्रिया या प्रथम पक्ष द्वारा लाइसेंस प्राप्त गोपनीय जानकारी शामिल है, जिसमें सिस्टम के चिन्ह भी शामिल हैं।

i. Month: Means a calendar month.

माह: इसका अर्थ एक कैलेंडर माह है।

j. **Services**: Means those services forming part of the system from time to time. सेवाएं: इसका तात्पर्य उन सेवाओं से है जो समय-समय पर सिस्टम का हिस्सा बनती हैं।

k. **Response time:** To respond to all inquiries by customers or potential customers on the same day as they are made.

प्रतिक्रिया समय: इसका अर्थ है ग्राहकों या संभावित ग्राहकों द्वारा की गई सभी पूछताछों का उसी दिन उत्तर देना जिस दिन वे की गई हों।

I. **Communication**: The second party shall agree to use such communication technology from the first party from time to time.

संचारः द्वितीय पक्ष समय-समय पर प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई संचार तकनीक का उपयोग करने के लिए सहमत होगा।

m. **Franchisee Meeting:** To convene meeting of franchisees as the first party India considers necessary.

फ्रेंचाइज़ी बैठक: जब प्रथम पक्ष भारत में आवश्यक समझे तब फ्रेंचाइज़ियों की बैठक बुलाना।

n. Advertising: To refer first party, for its prior approval of the contents, style and media proposed to be used by The Second party (including signage) for any advertising.

विज्ञापन: किसी भी विज्ञापन हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तावित सामग्री, शैली और मीडिया (जिसमें संकेत चिन्ह शामिल हैं) के लिए प्रथम पक्ष से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

o. **Inspection by the Company:** To permit the company and its employee and assignees at all reasonable times upon the provision of reasonable notice by the company to inspect and copy all books, financials and other records relating to the business.

कंपनी द्वारा निरीक्षण: कंपनी और उसके कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को उचित सूचना देकर सभी पुस्तकों, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य व्यवसाय से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देना।

- p. Confidential Information: Means but not limited to the operation manual, trade secrets, information, methods, ideas, concepts, price, forms, techniques, data base, copy right materials and all records relating to the system including Psychometric test.
 गोपनीय जानकारी: इसका अर्थ है संचालन मैनुअल, व्यापार रहस्य, जानकारी, विधियाँ, विचार, अवधारणाएं, मूल्य, प्रपत्र, तकनीक, डेटाबेस, कॉपीराइट सामग्री और सिस्टम से संबंधित सभी अभिलेख जिनमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी शामिल है (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है)।
- q. **Customer**: Means a person or entity to which The Second party provides services. **ग्राहक**: इसका तात्पर्य उस व्यक्ति या संस्था से है जिसे दिवतीय पक्ष सेवाएं प्रदान करता है।
- r. Direct Seller: means a person appointed by the Company on a principal-to-principal basis through this Contract to undertake sale, distribution and marketing of companies' products and services. A Direct Seller Partner may introduce or sponsor another Direct Seller Partner and support them to build their direct selling business of companies' products and services. प्रत्यक्ष विक्रेता: इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसे कंपनी द्वारा इस अनुबंध के माध्यम से मुख्य से मुख्य आधार पर नियुक्त किया गया है, ताकि वह कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की बिक्री, वितरण और विपणन कर सके। एक प्रत्यक्ष विक्रेता साथी किसी अन्य प्रत्यक्ष विक्रेता को पेश कर सकता है या प्रायोजित कर सकता है और उन्हें कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के प्रत्यक्ष विक्रय व्यवसाय को विकसित करने में सहयोग कर सकता है।
- s. **Discontinue**: Means to terminate the case operating the business. **बंद करना**: इसका अर्थ है व्यवसाय संचालन को समाप्त कर देना।
- t. **Auditor**: Means any person nominated by The First party from time to time, visit the Second party and facilitate the commercialization.

ऑडिटर: इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर नामित किया गया हो, जो द्वितीय पक्ष के पास जाकर व्यावसायीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है।

u.	Location/territory – Means habitation in which the business is proposed to be done and
	situated at
	स्थान / क्षेत्र - इसका तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें व्यवसाय प्रस्तावित है और जो
	पर स्थित है।

v. "Franchise Identification Number" - means the identification number that The First party assigns to Franchisee. It is a unique number for each Franchisee and it will be used to identify that Franchisee through his / her Franchisee relationship with the Franchisor.

"फ्रेंचाइज़ पहचान संख्या" - इसका अर्थ वह पहचान संख्या है जो प्रथम पक्ष द्वारा फ्रेंचाइज़ी को आवंटित की जाती है। यह प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी के लिए एक विशिष्ट संख्या होती है और इसका उपयोग फ्रेंचाइज़र के साथ फ्रेंचाइज़ी संबंध के माध्यम से फ्रेंचाइज़ी की पहचान के लिए किया जाएगा।

TERMS OF FRANCHISE AGREEMENT (फ्रेंचाइज़ समझौते की शर्ते)

1. To become franchisee of the First Party, the applicant must be an Indian citizen, above 18 years of age, sound mind, must not be convicted by any court of law.

- प्रथम पक्ष की फ्रेंचाइज़ी बनने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और जिसे किसी भी न्यायालय दवारा दोषी न ठहराया गया हो।
- 2. People who want to be a franchisee of First Party must fill and submit the Application / Registration form along with self-attested KYC documents as required by the First Party. वे लोग जो प्रथम पक्ष की फ्रेंचाइज़ी बनना चाहते हैं, उन्हें प्रथम पक्ष द्वारा आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित आवेदन/पंजीकरण प्रपत्र भरकर जमा करना होगा।
- 3. The First Party reserves the right to accept or reject Application / Registration Form without intimation to the Second Party.

 प्रथम पक्ष को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आवेदन/पंजीकरण प्रपत्र को बिना किसी सूचना के स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- 4. The First Party hereby grants all the relevant rights to carry on business as a Franchisee to the Second Party.

 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को फ्रेंचाइज़ी के रूप में व्यवसाय संचालित करने के सभी आवश्यक अधिकार प्रदान करता है।
- 5. The Second Party can use the trade names, trademarks, of the First Party for the said business purpose after approval.

 द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के ट्रेड नेम्स, ट्रेडमार्क आदि को उक्त व्यवसायिक उद्देश्य के लिए अनुमित प्राप्त करने के बाद उपयोग कर सकता है।
- 6. The Second Party can use the First Party's copyright material and know-how, knowledge etc. with prior approval from the First Party.

 द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की कॉपीराइट सामग्री, तकनीकी जानकारी, ज्ञान आदि का उपयोग प्रथम पक्ष से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कर सकता है।
- 7. The Second Party can use the benefits of the First Party's accounting management and marketing knowledge and experience. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लेखा प्रबंधन और विपणन ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठा सकता है।
- 8. The Second Party shall, at their own expense, procure appropriate premises meeting a minimum area of 1,500 square feet, as specified by the First Party, either through ownership or rental, for the purpose of conducting the business and storing the products of the Franchisor. The rental agreement shall be executed in the name of the Second Party, with rental payments made by the Second Party.

 द्वितीय पक्ष अपने खर्चे पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम 1500 वर्ग फुट के क्षेत्रफल वाले उपयुक्त परिसर को स्वामित्व या किराये के माध्यम से प्राप्त करेगा, जिसका उपयोग व्यवसाय संचालन और फ्रेंचाइज़र के उत्पादों के भंडारण के लिए किया जाएगा। किरायेदारी समझौता द्वितीय
- 9. The Second Party is responsible to get the GST registration and same GST will be used for all invoicing purposes.
 द्वितीय पक्ष जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने का उत्तरदायी होगा और वही जीएसटी सभी बिलिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जाएगा।

पक्ष के नाम पर किया जाएगा और किराया भ्गतान भी द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा।

10. At the time of signing this agreement, the Second Party shall pay a total amount of
☐15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakhs only) to the First Party. Out of this amount, ☐

shall be treated as a security deposit, while the remaining amount shall be treated by the First Party to provide products to the Second Party at the Distributor Price (DP) / Discounted Price.

इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष को 🛮 15,00,000/- (केवल पंद्रह लाख रुपये) की कुल राशि का भुगतान करना होगा। इस राशि में से 🗷 _____ सुरक्षा जमा के रूप में लिया जाएगा और शेष राशि का उपयोग प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वितरक मूल्य (DP) / छूट मूल्य पर उत्पाद प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

- 11. The Second party will operate the franchise business by maintaining a uniform standard facilities and services including uniformity in the charges levied on the client for rendering the specified services as specified by the First Party.
 - द्वितीय पक्ष फ्रेंचाइज़ व्यवसाय को प्रथम पक्ष द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं के लिए ग्राहक से वसूले जाने वाले शुल्क में एकरूपता सहित मानकीकृत स्विधाओं और सेवाओं को बनाए रखते हए संचालित करेगा।
- 12. That validity of this agreement between both the parties is for 2 year and lock in period shall be for 6 Months.
 - इस समझौते की वैधता दोनों पक्षों के बीच 2 वर्ष की होगी और लॉक-इन अवधि 6 महीने की होगी।
- 13. The First Party agrees to allow the Second party to renew the agreement subject to renewal terms being agreed by both the parties and where the Second party has operated the Franchise successfully in accordance with the terms of this Agreement.
 - प्रथम पक्ष सहमत है कि यदि द्वितीय पक्ष ने इस समझौते की शर्तों के अनुसार फ्रेंचाइज़ी का सफल संचालन किया है, तो दोनों पक्षों द्वारा नवीनीकरण शर्तों पर सहमति के अधीन समझौते का नवीनीकरण किया जा सकता है।
- 14. The Second party shall have no right to transfer the franchise. Any change in the name of the Second party, addition and subtraction of partners has to be done with the prior approval of the First Party.
 - द्वितीय पक्ष को फ्रेंचाइज़ को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष के नाम में कोई परिवर्तन, साझेदारों की वृद्धि या कमी केवल प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति से की जा सकती है।
- 15. Both the parties shall keep the record of Customers / Direct Sellers for proper record & data maintenance.
 - दोनों पक्ष ग्राहकों / प्रत्यक्ष विक्रेताओं का रिकॉर्ड उचित रूप से रखने और डेटा के रखरखाव के लिए बनाए रखेंगे।

RESPONSIBILITIES OF THE FIRST PARTY (प्रथम पक्ष की जिम्मेदारियाँ)

- The First party will provide an initial training of running the day-to-day franchise business to support & guide the Second party during the course of this Agreement.
 प्रथम पक्ष, इस समझौते की अविध के दौरान द्वितीय पक्ष को सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए, दैनिक फ्रेंचाइज़ व्यवसाय संचालन हेत् प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- 2. The First party shall help the Second party, how to set up the franchise along with the knowhow, advice and guidance relating to the business so that the Second party can successfully operate the Franchise.

प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को फ्रेंचाइज़ स्थापित करने में सहायता करेगा और व्यवसाय से संबंधित आवश्यक ज्ञान, परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करेगा ताकि द्वितीय पक्ष फ्रेंचाइज़ का सफल संचालन कर सके।

- 3. The First party shall regularly monitor and audit the Franchise to ensure that quality standards are met and that sales targets are achieved by the Second party. प्रथम पक्ष नियमित रूप से फ्रेंचाइज़ की निगरानी और ऑडिट करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता मानकों का पालन किया जा रहा है और द्वितीय पक्ष द्वारा बिक्री लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं।
- 4. The First party shall provide an ad hoc advice where the Second party encounters operational problems that are beyond control of the operation of the second party. जब द्वितीय पक्ष को ऐसे परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, तो प्रथम पक्ष अस्थायी सलाह प्रदान करेगा।
- 6. The First Party shall supply all marketing materials and collaterals as and when required by the Second Party. The Second Party agrees to bear the cost of these materials and collaterals. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की आवश्यकता अनुसार सभी विपणन सामग्री और प्रचार साधनों की आपूर्ति करेगा। द्वितीय पक्ष इन सामग्रियों और प्रचार साधनों की लागत वहन करने के लिए सहमत होता है।
- 7. The First party is not responsible for payment or co-payment of any employee benefits for its Franchisee. He / she are responsible for their own liability, health, disability and workmen's compensation insurance, etc.

 प्रथम पक्ष अपने फ्रेंचाइज़ी के किसी भी कर्मचारी लाभ के भुगतान या सह-भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फ्रेंचाइज़ी स्वयं अपनी देनदारियों, स्वास्थ्य, विकलांगता और श्रमिक मुआवजा बीमा आदि के लिए उत्तरदायी होगा।

RESPONSIBILITIES OF THE SECOND PARTY (दिवतीय पक्ष की जिम्मेदारियाँ)

- 1. The Second party shall only use the Printed material, invoices, and Services which are supplied / approved by the First party.
 - द्वितीय पक्ष केवल वही मुद्रित सामग्री, चालान और सेवाएं उपयोग करेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा प्रदान या अनुमोदित की गई हों।
- 2. The Second party must provide details of courier Company for timely delivery of goods in their local area.
 - द्वितीय पक्ष को अपने स्थानीय क्षेत्र में समय पर वस्तुओं की डिलीवरी हेतु क्रियर कंपनी का विवरण देना अनिवार्य होगा।
- The Second Party will bear all the transportation costs.
 सभी परिवहन लागतों का वहन दिवतीय पक्ष दवारा किया जाएगा।

- 4. The Second party shall operate the franchise business in accordance & guidance received as initial training to set up successful operations by the First Party.
 द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए प्रारंभिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के अनुसार फ्रेंचाइज़ व्यवसाय का संचालन करेगा।
- 5. The Second party shall use online / offline guidance and counseling services in connection with the Business as have been approved by the First party. द्वितीय पक्ष व्यवसाय के संबंध में केवल उन्हीं ऑनलाइन/ऑफ़लाइन मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाओं का उपयोग करेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित हों।
- 6. The Second party shall deliver the goods to the customer/Franchisee and provide the delivery confirmation report to the First party on daily, weekly and monthly basis. द्वितीय पक्ष ग्राहकों/फ्रेंचाइज़ियों को वस्तुएं वितरित करेगा और दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर डिलीवरी की पृष्टि रिपोर्ट प्रथम पक्ष को प्रदान करेगा।
- 7. The monthly commission will be transferred to the second party's bank account on or before 7th day of the corresponding closing month. If the 7th day comes out to be a public holiday, the commission would be transferred the next working day.

 मासिक कमीशन संबंधित समापन माह की 7 तारीख या उससे पहले द्वितीय पक्ष के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि 7 तारीख सार्वजनिक अवकाश होती है, तो कमीशन अगली कार्यदिवस में स्थानांतरित किया जाएगा।
- 8. The Second party shall maintain the premises to the highest standards and not carry out any alterations or any other business / service operation without the prior consent of the First party. द्वितीय पक्ष परिसर को उच्चतम मानकों पर बनाए रखेगा और प्रथम पक्ष की पूर्व सहमित के बिना कोई भी परिवर्तन या अन्य व्यवसाय/सेवा संचालन नहीं करेगा।
- 9. The Second party shall provide the following information to the prospect / consumers at the time of sale, namely:

दवितीय पक्ष को बिक्री के समय संभावित ग्राहकों/उपभोक्ताओं को निम्न जानकारी प्रदान करनी होगी:

- i. Name, address, registration number or enrollment number, identity proof and telephone number of the direct seller and details of direct selling entity.
 प्रत्यक्ष विक्रेता का नाम, पता, पंजीकरण संख्या या नामांकन संख्या, पहचान प्रमाण और टेलीफोन नंबर तथा प्रत्यक्ष विक्रय संस्था का विवरण।
- ii. A description of the goods or services to be supplied.प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं का विवरण।
- iii. Explain to the consumer about the Buy Back Policy of The First party in the details before the transaction.
 - लेनदेन से पूर्व उपभोक्ता को प्रथम पक्ष की बाय-बैक नीति के बारे में विस्तार से समझाना।
- iv. The order date, the total amount to be paid by the consumer along with the bill and receipt.
 - आदेश की तारीख, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि, बिल एवं रसीद सहित।
- v. Time and place for inspection of the sample and delivery of goods. नमूने के निरीक्षण और वस्तुओं की डिलीवरी का समय एवं स्थान।

- vi. Information of his / her rights to cancel the order and / or to return the product in good condition and avail refund on the amount paid.
 - उपभोक्ता को आदेश रद्द करने और/या उत्पाद को अच्छी स्थिति में वापस करने तथा भुगतान की गई राशि की वापसी प्राप्त करने के अधिकार की जानकारी।
- vii. Details regarding the complaint redressal mechanism. शिकायत निवारण तंत्र का विवरण।
- viii. Explain Cooling Off period in which he / she can cancel the participation and receive refund of the goods purchased.
 - क्लिंग ऑफ अविध की जानकारी देना, जिसमें उपभोक्ता भागीदारी रद्द कर सकता है और खरीदे गए उत्पाद की वापसी की राशि प्राप्त कर सकता है।
- The Second party shall use best endeavors to promote and extend the Business.
 द्वितीय पक्ष व्यवसाय को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
- 11. The Second party shall operate the Business during hours specified by the First Party. द्वितीय पक्ष व्यवसाय को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समयानुसार संचालित करेगा।
- 12. The Second party shall ensure that staff including office boy and Clerical Staff is well dressed, clean and polite.
 - द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यालय के सभी कर्मचारी, जिनमें कार्यालय सहायक और लिपिक कर्मचारी शामिल हैं, अच्छी तरह से तैयार, स्वच्छ और विनम्न हों।
- 13. The Second party shall at the request of the First party provide potential information as reasonably required.
 - द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के अन्रोध पर आवश्यकतान्सार संभावित जानकारी प्रदान करेगा।
- 14. The Second Party is required to notify the First Party in writing, either through online or offline channels, of any damaged products received within 48 hours of delivery. Verbal communications will not be accepted under any circumstances. Any request for refund, replacement, or return submitted after this 48-hour period will not be entertained.
 - द्वितीय पक्ष को किसी भी क्षतिग्रस्त उत्पाद की प्राप्ति की जानकारी डिलीवरी के 48 घंटे के भीतर प्रथम पक्ष को लिखित रूप में, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, सूचित करनी होगी। किसी भी स्थिति में मौखिक सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी। 48 घंटे के बाद रिफंड, प्रतिस्थापन या वापसी के किसी भी अन्रोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 15. All damaged products will be replaced as the new consignment from the First Party to the Second Party.
 - सभी क्षतिग्रस्त उत्पादों को प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को नए शिपमेंट के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 16. The Second party shall use the name franchise and the trademarks and symbols associated with the name of franchisor **M/s Zoe VitaflowHealthlife Private Limited** and franchisee place of business such operation (service provide) shall be known only as "**Franchisee**".

- द्वितीय पक्ष "फ्रेंचाइज़ी" नाम, ट्रेडमार्क और प्रतीकों का उपयोग करेगा जो फ्रेंचाइज़र**एम/एस** जोईविटाफ्लोहेल्थलाइफ प्राइवेट लिमिटेड और फ्रेंचाइज़ी स्थान से जुड़े हैं, और ऐसा संचालन केवल "फ्रेंचाइज़ी" के रूप में जाना जाएगा।
- 17. The Second party shall use the trademarks, logos and name on the entire document in the same format given by the First party's head office.

 द्वितीय पक्ष संपूर्ण दस्तावेज़ पर प्रथम पक्ष के मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही ट्रेडमार्क, लोगो और नाम का उपयोग करेगा।
- 18. The Second party has to display code of ethics of counseling, provided by the First party in the Franchise premises.

 द्वितीय पक्ष को फ्रेंचाइज़ कार्यालय में प्रथम पक्ष द्वारा प्रदान की गई परामर्श नैतिकता संहिता प्रदर्शित करनी होगी।
- 19. The Second party shall share with First Party all information obtained in the course of business which may harm the reputation of the First party.

 द्वितीय पक्ष व्यवसाय के दौरान प्राप्त सभी जानकारी जो प्रथम पक्ष की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे प्रथम पक्ष के साथ साझा करेगा।
- 20. The Second party shall enhance and promote the intellectual property, goodwill and reputation of the First party at all times.

 द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की बौद्धिक संपदा, साख और प्रतिष्ठा को हर समय बढ़ावा देगा और प्रचारित करेगा।
- 21. The Second party agree to enhance warehousing capacity and Franchise Premises along with Investment / Security Deposit as and when required by the First Party, depending upon the business expansion and future Plans.

 द्वितीय पक्ष व्यवसाय विस्तार और भविष्य की योजनाओं के अनुसार प्रथम पक्ष की आवश्यकता के अनुसार गोदाम क्षमता और फ्रेंचाइज़ परिसर को बढ़ाने के लिए निवेश/स्रक्षा जमा सहित सहमत होता है।
- 22. The Second party shall maximize efforts to develop the business of the Second party and maintain the image, identity and reputation of the entire franchising system. द्वितीय पक्ष अपने व्यवसाय के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगा और संपूर्ण फ्रेंचाइज़ प्रणाली की छिवि, पहचान और प्रतिष्ठा बनाए रखेगा।
- 23. The Second party shall hereby undertakes to supply the First party with all information concerning office operation, enabling evaluation of the quality of business management, as well as the financial reports required for effective management of the Network. द्वितीय पक्ष इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि वह कार्यालय संचालन से संबंधित सभी जानकारी प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराएगा, ताकि व्यवसाय प्रबंधन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके और नेटवर्क के प्रभावी प्रबंधन हेतु आवश्यक वित्तीय रिपोर्ट प्रदान की जा सकें।
- 24. The Second party is obligated to properly maintain and keep clean business premises, office, and computer, internet, toilets, meeting / training hall and account books. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवसाय स्थल, कार्यालय, कंप्यूटर, इंटरनेट, शौचालय, बैठक/प्रशिक्षण कक्ष और लेखा प्स्तिकाएं उचित रूप से बनाए और स्वच्छ रखी जाएं।
- 25. The Second party is obligated to provide excellent customer service.

- द्वितीय पक्ष को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी।
- 26. The Second party shall arrange basic requirement which includes Computer, Print, Scan, copier, Broadband internet connection, tables and chairs, storage space, staff, lights and ceiling fans, Air conditioner and other necessary infrastructure as per the necessity in the office premises. द्वितीय पक्ष को कार्यालय परिसर में आवश्यकतानुसार कंप्यूटर, प्रिंट, स्कैनर, कॉपियर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, मेज और कुर्सियां, भंडारण स्थान, स्टाफ, लाइट्स और पंखे, एयरकंडीशनर और अन्य आवश्यक ढांचे की व्यवस्था करनी होगी।
- 27. The Second party shall maintain complete record of goods and SKU of products. द्वितीय पक्ष को वस्तुओं और उत्पादों के एसकेयू का पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखना होगा।
- 28. The Second party shall bear the cost of branding outside the store as per the First Party Guidelines.
 - द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टोर के बाहर ब्रांडिंग की लागत वहन करनी होगी।
- 29. The insurance of the goods shall be done by the Second Party. Any petty theft / shortage / pilferage / damage (intentional / unintentional) will be the responsibility of the Second Party. वस्तुओं का बीमा द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। किसी भी छोटी चोरी / कमी / गबन / क्षिति (जानबुझकर या अनजाने में) के लिए द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा।
- 30. The Second Party shall strictly comply with the Product Order (PO) terms established by the First Party for all stock re-orders. दिवतीय पक्ष को सभी स्टॉक पुनः आदेशों के लिए प्रथम पक्ष दवारा निर्धारित उत्पाद आदेश (PO) की शर्तों
 - का कड़ाई से पालन करना होगा।
- 31. Specified Stock balance at the time of the signing of the agreement should be maintained under any circumstances.
 - समझौते पर हस्ताक्षर के समय निर्दिष्ट स्टॉक संतुलन को किसी भी स्थिति में बनाए रखना अनिवार्य है।
- 32. The Second Party is required to maintain a stock level of 75% for each product SKU at the time of re-ordering.
 - पुनः ऑर्डर करते समय द्वितीय पक्ष को प्रत्येक उत्पाद एसकेयू के लिए 75% स्टॉक स्तर बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- 33. The Second Party will cover the costs of labor and transportation for returning damaged goods by the Second Party.
 - द्वितीय पक्ष को क्षतिग्रस्त वस्त्ओं की वापसी हेत् श्रम और परिवहन लागत वहन करनी होगी।
- 34. The Second Party is strongly advised to adhere to the FIFO (First In, First Out) method in managing inventory to prevent products from expiring prematurely. This practice ensures that older stock is sold or used before newer stock, thereby minimizing the risk of expiration. द्वितीय पक्ष को सलाह दी जाती है कि वह इन्वेंटरी प्रबंधन में FIFO (प्रथम आया, प्रथम निकला) विधि का पालन करे, जिससे उत्पादों की शीघ्र समाप्ति से बचा जा सके। यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि पुराना स्टॉक नए स्टॉक से पहले बेचा या उपयोग किया जाए, जिससे समाप्ति के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
- 35. The Second Party is required to provide below mentioned documents to be appointed as Second Party of the First Party. The Second Party is bound to attach the duly signed copies of the

mentioned A4 size documents with this application form and agreement for distribution and promotion. (all documents copy for Second Party purpose only):

द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की फ्रेंचाइज़ बनने के लिए नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे। द्वितीय पक्ष बाध्य है कि वह इन सभी दस्तावेज़ों की विधिवत हस्ताक्षरित A4 आकार की प्रतियाँ इस आवेदन फॉर्म और समझौते के साथ वितरण और प्रचार हेतु संलग्न करे। (सभी दस्तावेज़ केवल द्वितीय पक्ष के उपयोग के लिए हैं):

- a. GST Certificate (Soft Copy)
- b. Two Passport size photographs.
- c. For Photo ID Proof: Passport, Aadhar Card, Voter ID Card, Driving License, Pan Card (Any one)
- d. For Residential Address Proof: Passport, Aadhar Card, Voter ID Card, Driving License, Ration Card, Light Bill, Bank Statement. (Any One)
- e. Cancelled Cheque
- f. Duly Filled and signed Application Form
- g. Agreement to be executed and signed by the both the parties.
- h. Second Party Location profile with Stock Point 5 Photograph (5 inch * 6 Inch or more then that)
- i. It is the responsibility of the Second party to provide any other documents that are required by the First Party as early as possible.

> CONFIDENTIALITY (गोपनीयता)

The Second party shall keep all the information strictly confidential and shall not disclose it to any third Party without the prior written consent of the first party during the term of the Agreement.

द्वितीय पक्ष सभी जानकारी को पूर्ण रूप से गोपनीय रखेगा और प्रथम पक्ष की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष को समझौते की अवधि के दौरान प्रकट नहीं करेगा।

NON-COMPETITION (प्रतिस्पर्धा निषेध)

- The Second party nor the Individuals will during the term of the franchise:-फ्रेंचाइज़ी की अविध के दौरान दिवतीय पक्ष और संबंधित व्यक्ति निम्न कार्य नहीं करेंगे:
 - i. Carry on any other business.कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेंगे।
 - Entice employees from the First party or other franchisees.
 प्रथम पक्ष या अन्य फ्रेंचाइज़ियों के कर्मचारियों को प्रलोभन नहीं देंगे।
 - iii. Use or disclose confidential information for any purpose other than a purpose set out in the Agreement.
 - गोपनीय जानकारी का उपयोग या प्रकटीकरण केवल इस समझौते में वर्णित उद्देश्य के लिए ही करेंगे, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं।

- 2. The Second party shall not reproduce or distribute privately reproduced versions of such materials under any circumstances.
 - द्वितीय पक्ष किसी भी परिस्थिति में ऐसी सामग्रियों की नकल या निजी रूप से प्नः वितरण नहीं करेगा।
- 3. The Second party shall not use the First party name, logo, trade name, trademarks, program names, or product names in any manner or form.
 - द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के नाम, लोगो, ट्रेड नेम, ट्रेडमार्क, प्रोग्राम नाम या उत्पाद नाम का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करेगा।
- 4. The Second party shall not compete with the First party / open up or start up any similar company for 1 year from the date of termination.
 - द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा और समझौता समाप्त होने की तिथि से 1 वर्ष तक कोई समान कंपनी नहीं खोलेगा या आरंभ नहीं करेगा।

TERMINATION (समाप्ति)

- The Second party shall be immediately terminated for violating the terms of the Agreement. यदि दिवतीय पक्ष समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे तत्काल समाप्त किया जा सकता है।
 - i. The Second party if fails to commence business within one months of execution of the Agreement.
 - यदि द्वितीय पक्ष समझौते के निष्पादन के एक माह के भीतर व्यवसाय प्रारंभ करने में असफल रहता है।
 - ii. The Second Party persistently defaults in payment of any amounts due to the Franchisor for a consecutive period of three months.
 - यदि दवितीय पक्ष लगातार तीन माह तक प्रथम पक्ष को भगतान में चुक करता है।
 - iii. The Second party if found to have supplied faulty material and services or misleading information in or supporting the franchise application.
 - यदि द्वितीय पक्ष दोषपूर्ण सामग्री और सेवाएं प्रदान करता है या फ्रेंचाइज़ी आवेदन में भ्रामक जानकारी देता है।
 - iv. The Second party if goes into liquidation / bankruptcy or is insolvent. यदि द्वितीय पक्ष दिवाला प्रक्रिया में चला जाता है या दिवालिया हो जाता है।
 - v. The Second party if wishes to discontinue the business or where he was terminated by the First party, it is the sole responsibility of the Second party to sell the products with him. यदि द्वितीय पक्ष व्यवसाय समाप्त करना चाहता है या प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो उसके पास बची हुई वस्तुओं को बेचना उसकी एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
 - vi. The Second party shall not make use of or disclose any confidential information relating to the system or the franchised business. द्वितीय पक्ष सिस्टम या फ्रेंचाइज़ व्यवसाय से संबंधित किसी भी गोपनीय जानकारी का उपयोग या
 - द्विताय पक्ष सिस्टम या फ्रचाइज़ व्यवसाय स संबाधत किसा भा गापनीय जानकारा का उपयाग या प्रकटीकरण नहीं करेगा।
 - vii. Upon termination of the agreement, the Company will accept the return of products only if they have a remaining shelf life of at least six months. Refunds will be processed solely for products received in good, saleable condition. Furthermore, all associated expenses,

including transportation, delivery, or any additional charges, will be deducted from the refund amount.

समझौते की समाप्ति पर कंपनी केवल उन्हीं उत्पादों की वापसी स्वीकार करेगी जिनकी शेष शेल्फ लाइफ कम से कम छह महीने हो। केवल अच्छी और बिक्री योग्य स्थिति में प्राप्त उत्पादों के लिए ही रिफंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन, डिलीवरी या अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क रिफंड राशि से काटा जाएगा।

viii. That the Second Party agrees and acknowledges that the First Party shall be entitled to deduct 30% from the refund amount at the time of termination of this agreement. However, in the event that the Second Party chooses not to return the product, the First Party shall be entitled to deduct only handling charges equivalent to 7% of the product value, and the remaining amount shall be refunded accordingly.

द्वितीय पक्ष इस बात से सहमत और अवगत है कि समझौते की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को रिफंड राशि से 30% तक की कटौती करने का अधिकार होगा। हालांकि, यदि द्वितीय पक्ष उत्पाद लौटाना नहीं चाहता, तो प्रथम पक्ष केवल उत्पाद मूल्य के 7% के बराबर हैंडलिंग शुल्क की कटौती करेगा और शेष राशि रिफंड की जाएगी।

> PROCEDURE OF TERMINATION (समाप्ति की प्रक्रिया)

- Depending up on the seriousness of the violation, a Franchisee may be immediately terminated for violating the terms of the Agreement and / or any other relevant documents produced by the Company.
 - उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर, फ्रेंचाइज़ी को समझौते और/या कंपनी द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य दस्तावेज़ का उल्लंघन करने पर तत्काल समाप्त किया जा सकता है।
- 2. The Company may, at its sole discretion, terminate a violating Franchisee without placing the Second party on suspension. When the decision is made to suspend a Franchisee, the Company will inform the Second party in writing to the registered address in the Second party's Registration Form that the suspension has occurred.
 - कंपनी अपने विवेकाधिकार से किसी उल्लंघनकर्ता फ्रेंचाइज़ी को निलंबन में डाले बिना भी समाप्त कर सकती है। यदि निलंबन का निर्णय लिया जाता है, तो कंपनी द्वितीय पक्ष को उसके पंजीकरण फॉर्म में उल्लिखित पते पर लिखित रूप में सूचित करेगी।
- 3. If the Second party wishes to ask the Company to review the decision to suspend, he / she shall make such a request to the Company in writing within seven (7) days from the date of notice of suspension.
 - यदि द्वितीय पक्ष निलंबन के निर्णय की समीक्षा के लिए कंपनी से अनुरोध करना चाहता है, तो उसे निलंबन सूचना की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर कंपनी को लिखित रूप में ऐसा अनुरोध करना होगा।
- 4. If the Company receives no such request within the seven (7) days period, the suspension will automatically be deemed final for termination.
 - यदि कंपनी को सात (7) दिनों की अविध के भीतर ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता, तो निलंबन स्वतः समाप्ति के रूप में अंतिम माना जाएगा।

- 5. If the Second party files a timely written request, the Company will review the decision and notify the Second party of the result of the review within seven (7) days after receipt of the Second party's request.
 - यदि द्वितीय पक्ष समय पर लिखित अनुरोध करता है, तो कंपनी निर्णय की समीक्षा करेगी और दिवितीय पक्ष को समीक्षा के परिणाम की जानकारी सात (7) दिनों के भीतर देगी।
- 6. The Company will not further review its own decision. In the event the suspension decision is not reversed, the suspension will remain effective as of the date stated in the original termination notice.
 - कंपनी अपने निर्णय की आगे कोई समीक्षा नहीं करेगी। यदि निलंबन निर्णय को रद्द नहीं किया जाता, तो निलंबन मूल समाप्ति सूचना में उल्लिखित तिथि से प्रभावी रहेगा।

> DISPUTE RESOLUTION AND JURISDICTION (विवाद समाधान और क्षेत्राधिकार)

- This Agreement shall be interpreted and construed in accordance with the laws of India.
 इस समझौते की व्याख्या और गठन भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी।
- 2. Any dispute, controversy or claims arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the provisions of the [Indian] Arbitration and Conciliation Act, 1996.
 - इस समझौते से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद, मतभेद या दावे का निपटारा भारतीय मध्यस्थता और स्लह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।
- 3. The Parties hereto mutually agree and confirm that the arbitration proceedings shall be held at Noida (Uttar Pradesh, India) only and shall be adjudicated by a sole arbitrator to be appointed by the First party within the provisions of the arbitration act. For any judicial intervention in the matter, and/or for the purposes of enforcing an award, the exclusive courts of Noida (Uttar Pradesh, India) shall have jurisdiction in the matter.

 पक्षकार आपस में सहमत हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही केवल नोएडा (उत्तर प्रदेश, भारत) में आयोजित की जाएगी और एकमात्र मध्यस्थ द्वारा की जाएगी जिसे प्रथम पक्ष द्वारा मध्यस्थता अधिनियम के तहत नियुक्त किया जाएगा। इस मामले में किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप और/या निर्णय को लागू करने के लिए केवल नोएडा की अदालतों का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।
- 4. The arbitral procedure shall be conducted in the English language and any award or awards shall be rendered in English. The procedural law of the arbitration shall be Indian law. मध्यस्थता की प्रक्रिया अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी और कोई भी निर्णय अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया भारत के कानुनों के अनुसार होगी।

ANNEXURE – A (परिशिष्ट - ए)

COMMISSION (कमीशन)

1. The commission shall be based on the Distributor Price (DP), with a pre-determined rate of _______% on monthly direct sales. Additionally, TDS will be deducted in accordance with the provisions of the Income Tax Act.

- कमीशन वितरक मूल्य (DP) पर आधारित होगा, जिसमें मासिक प्रत्यक्ष बिक्री पर पूर्वनिर्धारित %दर होगी। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी।
- 2. Payment to the Second Party shall preferably be made through NEFT and through their authorized bank accounts which are registered with the company. द्वितीय पक्ष को भुगतान अधिमानतःएनईएफटी के माध्यम से और कंपनी के साथ पंजीकृत अधिकृत बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा।
- 3. Third Party payment is not acceptable, better use your own registered Bank Account with the company and that too be in the name of Second Party name.
 िकसी तीसरे पक्ष के खाते में भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा; कृपया कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ही बैंक खाते का उपयोग करें और वह खाता दिवतीय पक्ष के नाम पर होना चाहिए।
- 4. Second Party should provide invoice and receipt of payment to the customers/ Direct Seller for all the transactions done.

 द्वितीय पक्ष को सभी लेनदेन के लिए ग्राहकों/प्रत्यक्ष विक्रेताओं को चालान और भुगतान की रसीद प्रदान करनी चाहिए।
- 5. All invoices between Second Party and customers/Direct Seller are Second Party responsibility.

 द्वितीय पक्ष और ग्राहकों/प्रत्यक्ष विक्रेताओं के बीच सभी चालान द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी में आएंगे।
- 6. The Company may change the margins based upon Operators / service providers and the margin mentioned in this document is as per the policy on the current date of executions of this document.
 कंपनी सेवा प्रदाताओं या ऑपरेटरों के अनुसार मार्जिन में परिवर्तन कर सकती है और इस दस्तावेज़ में
- 7. Additional annexure may be added on from time-to-time basis and will be shared with the channel partners, if it is required by the company or as per the prevailing government laws. आवश्यकता पड़ने पर कंपनी या प्रचलित सरकारी कानूनों के अनुसार समय-समय पर अतिरिक्त परिशिष्ट जोड़े जा सकते हैं और उन्हें चैनल पार्टनर्स के साथ साझा किया जाएगा।

IN WITNESS HEREOF THE PARTIES HERETO HAVE EXECUTED THIS AGREEMENT, THE DAY, THE MONTH AND THE YEAR HEREINABOVE WRITTEN.

इसका साक्षी रहते हुए, इस समझौते में वर्णित दिन, माह और वर्ष को दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे लागू किया है।

Signed for & on behalf of Zoe VitaflowHealthlife Private Limited			
ोईविटाफ्लोहेल्थलाइफ प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षरित			
Mr — Director / Authorized Signatory)			

उल्लिखित मार्जिन वर्तमान नीति के अन्सार है।

Signed for & on behalf of XYZ INDIA PRIVATE LIMITED

XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षरित			
(Mr	– Director / Partner / Authorised Signatory)		
Witness 1 (गवाह 1) :	Witness 2 (गवाह 2) :		
Signature (हस्ताक्षर) :	Signature (हस्ताक्षर) :		
Name (नाम) :	Name (नाम) :		
Address (पता):	Address (पता) :		